भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 300

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन

300. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को आवश्यक सेवाओं, वित्तीय सहायता और सुरक्षात्मक उपाय सहज सुलभ हों और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार बृद्ध आबादी और दिव्यांगजनों की विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों को किस हद तक संबोधित करती है;

(ग) क्या सरकार नि:शक्त लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार को अधिक सुलभ बना रही है;

(घ) यदि हां, तो नि:शक्त लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार को अधिक सुलभ बनाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा नि:शक्तता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) स्कीम का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:-

i. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित

वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

ii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत, राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य कार्य योजना को लागू करती है। जागरूकता सृजन, संवेदीकरण, मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **एल्डरलाइन** - वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत निवारण और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 01.10.2021 को टोल फ्री नंबर 14567 पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन अर्थात 'एल्डरलाइन' शुरू की गई थी।

iv. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के योजना घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले और आयु-संबंधी दिव्यांगताओं/विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराना है, जो उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकें। यह योजना दिनांक 01.04.2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 'कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

v. **सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई)** - एसएजीई योजना घटक का उद्देश्य आम तौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए अनोखे और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इस योजना घटक के तहत, वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने हेतु अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्ट-अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और फंड इक्विटी के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी का 49% से अधिक न हो।

vi. **जराचिकित्सा सेवा प्रदाता प्रशिक्षण** - इस योजना घटक का मुख्य उद्देश्य जराचिकित्सा सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें

और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल सेवा प्रदाताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके।

vii. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल**: स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था की समस्याओं को समाधान करने के लिए देश भर में कई पहलों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 अधिसूचित किया है, ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम में न्यायाधिकरणों के माध्यम से बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण को अनिवार्य और न्यायोचित बनाने, रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने, वरिष्ठ नागरिकों को छोड़े जाने के लिए दंडात्मक प्रावधान, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया है जो 19.04.2017 को लागू हुआ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 45 मौजूदा बुनियादी ढांचे और परिसर को सुलभ बनाने और उस उद्देश्य के लिए कार्रवाई करने के लिए समय सीमा प्रदान करती है। धारा 24 उचित सरकार को, आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर, आय सीमा के अधीन दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने का अधिकार देती है। धारा 6 और 7 में दिव्यांग व्यक्तियों को क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार, हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचाने के उपाय प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 40 शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वास्तविक पर्यावरण, परिवहन, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए सुगमता के मानकों का अधिदेश देती है। धारा 16 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को अपनी इमारतों, परिसरों और सुविधाओं को सुलभ बनाना अपेक्षित है। धारा 11 मतदान में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच को सुनिश्चित करती है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त, धारा 19 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए रियायती दरों पर ऋण देकर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

i. **दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण खरीदने/फिटिंग करने में सहायता (एडीआईपी):** स्कूल जाने वाले छात्रों सहित दिव्यांग व्यक्तियों टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरण खरीदने में सहायता देने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, जिससे देश भर में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन की योजना:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से निर्बाध वातावरण के निर्माण, सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त संगठनों/संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):** दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

iv. **राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी):** यह देश भर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋणों को चैनलाइज़ करता है। एनडीएफडीसी की अपनी साझेदार एजेंसियों के माध्यम से रियायती वित्त को चैनलाइज़ करने के लिए दो प्रमुख योजनाएं हैं अर्थात (क) दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) और (ख) विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)।

v. छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत सरकार दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

(ग) से (घ): शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक तथा शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड को क्रमशः आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है- समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा के लिए एक समर्पित घटक है, ताकि पूर्ण

समानता और समावेश सुनिश्चित किया जा सके ताकि विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे स्कूलों में पूरी तरह से भाग ले सकें। इस योजना का उद्देश्य प्री-स्कूल से लेकर कक्षा XII तक सीडब्ल्यूएसएन के लिए शिक्षा को देखना है। समग्र शिक्षा योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है और केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीडब्लूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से सीडब्लूएसएन, जिसमें गंभीर और बहु- दिव्यांगता वाले ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं उनके लिए विभिन्न प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर (ब्लॉक स्तर पर), छात्र विशिष्ट प्रयास 3500/- रु. प्रति सीडब्लूएसएन प्रति वर्ष की दर से सहायता जैसे कि सहायता, उपकरण, सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट का प्रावधान। समग्र शिक्षा का फोकस सीडब्लूएसएन को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/दिव्यांगताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में भाग लेते हैं और एक साथ सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक समान सक्षम शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है जिसमें छह घटक हैं;

- मैट्रिक-पूर्व (कक्षा IX और X),
- मैट्रिकोत्तर (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा),
- उच्च श्रेणी की शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्ट अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएचडी),
- दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी); और
- निःशुल्क कोचिंग (ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए)।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16(ii) उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाने का अधिदेश देती है। धारा 17(i) दिव्यांग छात्रों छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा पत्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के प्रावधान के माध्यम से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का प्रावधान करती है। दिव्यांग छात्रों की जरूरतों प्रति संवेदनशील होने के कारण सीबीएसई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में

परिभाषित बधिर और मूक सहित सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायत प्रदान करती है जैसे चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार, लेखक की सुविधा और प्रतिपूरक समय, लेखक लेखक की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, कक्षा X के लिए शुल्क संबंधी और विशेष छूट जैसे तीसरी भाषा से छूट, विषय चुनने में छूट, वैकल्पिक प्रश्न/अलग प्रश्न तथा कक्षा XII के लिए विशेष छूट जैसेकि विषयों को चुनने की छूट, अलग प्रश्न पत्र तथा प्रैक्टिकल के स्थान पर प्रश्न।

इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनाने की दिशा में लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) को लागू कर रहा है।

विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी का शुभारंभ किया है, जो नियोक्ताओं/नौकरी एग्रीगेटर्स को एक मंच प्रदान करके दिव्यांगजनों के कौशल और रोजगार की आवश्यकता को भी पूरा करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 15.1.2018 और 17.5.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से क्रमश: पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, दिनांक 28.12.2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ 30.06.2016 से आगे बढ़ा दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को इन निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कम से कम उप सचिव के पद के एक अधिकारी को नामित करना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को परामर्श देते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करें, जैसे कि भर्ती के बाद और पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, स्थानांतरण/तैनाती में प्रमुखता, विशेष आकस्मिक अवकाश आदि। स्थानांतरण/रोटेशनल स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट के बारे में निर्देश उन कर्मचारियों के संबंध में भी दिए गए हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के आश्रितों की देखभाल करते हैं।

(ङ.): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश भर में एसआईपीडीए योजना के तहत एक घटक के रूप में "जागरूकता सृजन और प्रचार योजना" को कार्यान्वन कर रहा है। इस योजना का

मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजित करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और सहकर्मी समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और जागरूक करना है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जागरूकता का प्रसार किया गया है।

****